E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261 & 261202
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)
(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर –335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई –दिल्ली 110012

पत्रांकः के.रा.फा./जैत./13–4/उद्यान/2018–19/ दिनांकः 17.11.2018

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित पौधशाला में वानिकी पौधे को ठेके पर तैयार करवाने हेतु सीलबन्द निविदायें दिनांक 14.12.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक आंमत्रित की जानी है। जिसकी विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है ।

उप महाप्रबन्धक (फार्म)

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261 & 261202
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)
(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर –335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई –दिल्ली 110012

पत्रांकः के.रा.फा. / जैत. / 13–4 / उद्यान / 2018–19 / दिनांकः 17.11.2018

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित पौधशाला में वानिकी पौधे को ठेके पर तैयार करवाने हेतु सीलबन्द निविदायें श्रीमान् निदेशक महोदय, केन्द्रीय राज्य फार्म – जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) के नाम से दिनांक 14.12.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र कर विकय दोपहर 12:30 तक किया जाएगा। जो उसी दिन दोपहर 2.30 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी । निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 5000 / – (रु पॉच हजार मात्र) फार्म के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करवाकर अथवा बैक डिमान्ड–ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251,खाता संख्या:3396 3396 672) पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में निविदा के साथ जमा / संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की धरोहर राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लौटा दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्ते किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है । निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 200.00 फार्म के खाते में ऑनलाईन जमा कर व एक फोटो पहचान पत्र व पेन कार्ड की फोटो प्रति जमा करवा कर कार्यालय से सांय 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

उप महाप्रबन्धक (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर(राज.)

वर्ष 2018–2019 के लिए नर्सरी में वानिकी पौधे तैयार करनें हेतु नियम व शर्ते

1. ठेकेदार को वर्ष 2018–19 के लिए 15000 नग वानिकी पौधे पॉलीथीन की थैलियों में तैयार करना होगा ।
2. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करनें से पुर्व रू5000/– धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड,जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC Code no.SBIN0008251,खाता संख्याः 3396 3396 672), जमा – संलग्न करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । जो कि कार्य के संतोषजनक पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी ।
3. पॉलीथिन की थैली, खाद, बीज, कीट नाशक आदि फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे ।
4. पौधो की गिनती कम से कम 9 इंच से 1 फीट के आकार की ऊचाई तक की जायेगी ।
5. ठेकेदार को पानी लगाना, निराई– गुड़ाई करना, कीटनाशक का स्प्रे करना आदि कार्य समय – समय पर करनें होगे ।
6. तैयार पौधो की थैलीयों को एक बार, एक क्यारी में बदलना होगा ।
7. थैली भरना क्यारी में लगाना तथा बीज की बिजाई का कार्य 31 मार्च 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए । कटिंग कार्य माह फरवरी/ मार्च–2019 तक पूरा होना चाहिए ।
8. पौधे तैयार होने के बाद अन्तिम गिनती होने पर तैयार पौधो का भुगतान किया जाएगा।
9. ठेकेदार द्वारा 15000 नग वानिकी पौधे तैयार करवाये जाने है लेकिन आवश्यकतानुसार पौधों की संख्या घटाई व बढाई भी जा सकती है ।
10. कार्य आदेश मिलने के 10 दिन के अन्दर 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा ।
11. निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या निरस्त कर सकते है ।
12. ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा । यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म सम्पति को नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को ही करनी होगी ।
13. यदि उपरोक्त अनुबंध / करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष – सह– निदेशक को संदर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वंय अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटारा आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं / पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।
14. आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से संबंधित होगा ।
15. उपरोक्त शर्तो को सुन समझ कर व पढकर बताया गया जो मुझे पूर्णतया स्वीकार है ।

हस्ताक्षर ठेकेदार